प्रेषक,

आयुक्त,
झाँसी मण्डल झाँसी।

सेवा में,

सचिव,
केन्दीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,शिक्षा केन्द्र–2,समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार,नई दिल्ली।

पत्रांक/पी0ए0/एन0ओ0सी0/ 2963-69 /2023–24 दिनॉक– 22-06-2023

विषयः–सेन्ट जॉन पॉल स्कूल बम्हरौली,मोंठ–झाँसी को सी0बी0 एस0ई0 बोर्ड,नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–1916/15–7–09–1(299)/2007 दिनॉक–14.07.2009 द्वारा प्रदेश स्थित सी0बी0एस0ई0 तथा आई0सी0एस0ई0 बोर्ड द्वारा संचालित किए जाने के पूर्व संस्थाओ को राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का प्राविधान किया गया है। उक्त शासनादेश के अनुपालन में जनपद झाँसी में स्थित सेन्ट जॉन पॉल स्कूल बम्हरौली,मोंठ–झाँसी के आवेदन पत्र पर मण्डल स्तर पर गठित समिति द्वारा विचार किया गया। समिति द्वारा विचारोपरान्त सेन्ट जॉन पॉल स्कूल बम्हरौली,मोंठ–झाँसी को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धो के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने का निर्णय लिया गया।

अतः सेन्ट जॉन पॉल स्कूल बम्हरौली,मोंठ–झाँसी को निम्नलिखित प्रतिबन्धो के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में समिति को आपत्ति नहीं है–

1–विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2–विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

3–विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मैधावी बच्चो के लिए सुरक्षित रहेंगे, और उनमे उ0प्र0,माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयो में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4–संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्वता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन,नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्वता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

5–संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियो को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के कर्मचारियो को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

6–कर्मचारियो की सेवा शर्ते बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों का अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

क्रमशःपृ0सं0–02 पर

7–राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

8–विद्यालय का रिकार्ड,निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओ में रखा जायेगा।

9–उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय पर यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(डॉ0 आदर्श सिंह)
आयुक्त
झाँसी मण्डल झाँसी।

पृष्ठांकन सं0/पी0ए0/एन0ओ0सी0/ 2963-69 /2023–24 दिनॉक–

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव,माध्यमिक शिक्षा,उ0प्र0,शासन,लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, झाँसी।
3. शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,लखनऊ।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक, झाँसी।
5. निरीक्षक,आंग्ल भाषा विद्यालय,उ0प्र0,लखनऊ।
6. प्रबन्धक सेन्ट जॉन पॉल स्कूल बम्हरौली,मोंठ–झाँसी।

22/6/23

(संजय यादव)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
झाँसी मण्डल झाँसी।